Bundelkhand Journal of Academic Research

सतत विकास में बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन

(मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापक परिवारों की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)

छोटेलाल उटावदे

शोधार्थी (समाज कार्य), महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश।

(**Corresponding Author:** braussresearchofficerugc@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005928

सारांश

सतत विकास का मूल उद्देश्य आर्थिक प्रगति के साथ–साथ सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानवाधिकार तथा पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, बेहतर स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इस संदर्भ में बालिकाओं की स्थिति सतत् विकास की सफलता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, डिजिटल संसाधनों, कौशल विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनेक स्तरों पर वंचित रहती हैं। भारत में पिछले दशकों में बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ अभी भी मौजूद हैं। यूनिसेफ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदायों की बालिकाएँ बहुआयामी वंचनाओं का अधिक सामना करती हैं। इसी प्रकार बाल विवाह का संबंध गरीबी, ग्रामीण निवास तथा शिक्षा की कमी से भी पाया जाता है। भारत में 20–24 वर्ष आयु की लगभग 23 प्रतिशत युवा महिलाएँ 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह या वैवाहिक संघ में प्रवेश कर चुकी थीं। यह शोध–पत्र गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का विश्लेषण करता है तथा सतत विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों को रेखांकित करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बालिकाओं के समग्र विकास के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है, किन्तु शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक संरक्षण और परिवार एवं समुदाय की मानसिकता में परिवर्तन को एकीकृत रूप से लागू करना आवश्यक है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 25 अगस्त, 2026 **स्वीकृत:** 08 सितंबर, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 08

मुख्य शब्द: सतत विकास, बालिका, लैंगिक समानता, बाल विवाह, पोषण, स्वास्थ्य।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : सतत विकास वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने की अवधारणा है। इसका संबंध केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि सामाजिक समानता, मानव विकास, पर्यावरणीय संरक्षण तथा अवसरों के समान वितरण से भी है।

किसी भी देश के सतत विकास का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि वहाँ बच्चों और विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और विकास के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। बालिकाओं में निवेश का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। गरीबी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बाधा है। गरीब परिवारों में सीमित संसाधनों के कारण कई बार बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं मिलती। आर्थिक कठिनाइयों के कारण बालिकाओं को घरेलू कार्य, देखभाल, मजदूरी अथवा कम उम्र में विवाह जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के बच्चों को गरीबी, कुपोषण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, बाल विवाह और शिक्षा से संबंधित अनेक वंचनाओं का सामना करना पड़ता है।

अतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन सतत् विकास के व्यापक लक्ष्यों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1.1. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करना।
3. बालिकाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करना।
5. बालिकाओं के सतत एवं समग्र विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य का पूर्वावलोकनः बालिकाओं की स्थिति पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि गरीबी और लैंगिक असमानता एक–दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार (2025–26) कौशल विकास संबंधी विश्लेषणों में निम्न आय एवं अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े परिवारों के लिए कौशल प्रशिक्षण की लागत, प्रशिक्षण केंद्रों तक दूरी तथा रोजगार से प्रशिक्षण को जोड़ने की समस्या को प्रमुख चुनौती माना गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए केवल विद्यालयी शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक एवं रोजगारपरक कौशल से जोड़ना भी आवश्यक है।

यूनिसेफ रिपोर्ट (2024–25) में भारत संबंधी विश्लेषण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाल विवाह शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के अधिकारों को प्रभावित करता है तथा गरीबी के अंतर–पीढ़ीगत चक्र को मजबूत कर सकता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2023–24) में शिक्षा और लैंगिक समानता से संबंधित अनेक संकेतकों के आधार पर भारत की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी–2025) के अनुसार सामाजिक संस्थाएँ जैसे परिवार, विवाह व्यवस्था, उत्तराधिकार प्रणाली तथा सामुदायिक परंपराएँ महिलाओं की निर्णय क्षमता एवं स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से गरीब परिवारों की बालिकाएँ शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाती हैं, जिसके कारण उनके सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5, 2019–21) यह स्पष्ट करता है कि बालिकाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। सर्वेक्षण के अनुसार किशोरियों एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा स्तर तथा निवास क्षेत्र से गहराई से प्रभावित होती है। बालिकाओं में कुपोषण, अल्पपोषण तथा एनीमिया की समस्या विशेष रूप से चिंताजनक पाई गई। एनएफएचएस–5 के अनुसार 6–59 माह आयु वर्ग के बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि 35.5 प्रतिशत, कम वजन 32.1 प्रतिशत तथा क्षीणता 19.3 प्रतिशत दर्ज की गई, जिनका प्रभाव बालिकाओं पर भी समान रूप से देखा गया। साथ ही बच्चों में एनीमिया की दर 67 प्रतिशत से अधिक रही, जो पोषण सुरक्षा की गंभीर चुनौती को दर्शाती है।

3. शोध प्रविधि : प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पर आधारित है। अध्ययन में बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

3.1. अध्ययन का क्षेत्रः अध्ययन का प्रमुख संदर्भ भारत है तथा आवश्यकता के अनुसार मध्य प्रदेश के पाँच जिले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की बालिकाओं की परिस्थितियों को विशेष संदर्भ के रूप में लिया गया है।

3.2. शोध की प्रकृतिः अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों प्रत्येक्ष साक्षात्कार, समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क, द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इनमें सरकारी रिपोर्ट, नीति आयोग के एसडीजी दस्तावेज, यूनिसेफ रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज, शोध–पत्र, पुस्तकें तथा संबंधित विभागों की योजनाओं से संबंधित सामग्री शामिल है।

4. सतत विकास में बालिकाओं की स्थिति का विश्लेषणः मध्य प्रदेश के सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में बालिकाओं की स्थिति सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाड़ली लक्ष्मी योजना पहल के माध्यम से राज्य की लाखों बालिकाओं को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन और शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे बाल विवाह रोकने और बालिका भण हत्या पर अंकुश लगाने में सहायता मिली है। मध्य प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 33 प्रतिशत से अधिक) लैंगिक एवं बाल–केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटित करती है, जो बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत बनाता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात और जेंडर पैरिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। 'सीएम राइज स्कूल' जैसी योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है और टीकाकरण की दर 90 प्रतिशत के पार पहुंच गई है, जिससे बालिका स्वास्थ्य को संबल मिला है। इस तरह बालिकाओं के समेकित विकास के लिए राज्य सरकार 'लाइफ–साइकिल दृष्टिकोण' (जन्म से लेकर शिक्षा और रोजगार तक) पर

जोर दे रही है। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी–5 (लैंगिक समानता) और एसडीजी–4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) को प्राप्त करने के संदर्भ में राज्य में सकारात्मक सुधार हुए हैं, हालांकि कुछ क्षेत्र अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं।

4.1. सतत् विकास की अवधारणाः सतत विकास को मुख्यतः तीन व्यापक आयामों (आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता) के माध्यम से समझा जा सकता है।

4.1.1. आर्थिक विकासः आर्थिक विकास का आशय ऐसी समावेशी एवं न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें गरीबी को कम करने के साथ–साथ परिवारों को स्थायी आय, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं के संदर्भ में आर्थिक विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार की आर्थिक असुरक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा पर पड़ सकता है। अतः बालिकाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, छात्रवृत्ति एवं रोजगारोन्मुख अवसरों का विस्तार तथा परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सतत् आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

4.1.2. सामाजिक विकासः सामाजिक विकास का आशय ऐसे समावेशी समाज के निर्माण से है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त हो। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के संदर्भ में सामाजिक विकास का विशेष महत्व है, क्योंकि आर्थिक अभाव के साथ–साथ सामाजिक एवं लैंगिक असमानताएँ भी उनके विकास को प्रभावित करती हैं। इसलिए बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण, सुरक्षित वातावरण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा अपने मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना सतत् सामाजिक विकास की आवश्यक शर्त है।

4.1.3. पर्यावरणीय स्थिरताः इसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण से है। बालिकाओं का विकास इन तीनों आयामों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए यदि बालिका शिक्षित होती है तो उसके रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ते हैंय स्वास्थ्य बेहतर होता है। विवाह एवं मातृत्व के निर्णयों में उसकी भागीदारी बढ़ती है और अगली पीढ़ी के मानव विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

5. सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषणः सरकारी योजनाओं ने बालिकाओं की स्थिति में कई सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दिया है।

1. पहला, बालिका शिक्षा के प्रति परिवारों में कुछ हद तक जागरूकता बढ़ी है।
2. दूसरा, छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों पर शिक्षा का आर्थिक भार कम हुआ है।
3. तीसरा, पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने किशोरियों और माताओं के स्वास्थ्य को नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।
4. चौथा, बाल विवाह के विरुद्ध कानून, जागरूकता अभियान और सामुदायिक हस्तक्षेपों से बाल विवाह में दीर्घकालीन कमी आई है। यूनिसेफ के विश्लेषण में भारत में बाल विवाह की व्यापकता 2001 के 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 23 प्रतिशत बताई गई है।
5. पाँचवाँ, सामाजिक सुरक्षा और नकद हस्तांतरण जैसे उपाय गरीब परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा में बनाए रखने तथा बाल विवाह के आर्थिक दबाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

6. योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां : योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद जमीनी स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

1. जानकारी के अभाव के कारण कई परिवारों को सभी पात्र योजनाओं की जानकारी नहीं होती।
2. दस्तावेजी समस्याएँ जैसे जन्म प्रमाण–पत्र, आधार, बैंक खाता, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र और अन्य दस्तावेजों की कमी से लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
3. आर्थिक मजबूरी से गरीब परिवारों में बालिका को विद्यालय भेजने के बजाय घरेलू कार्य अथवा आर्थिक गतिविधियों में लगाने हेतु दबाव हो सकता है।
4. विद्यालय की दूरी के कारण विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की दूरी बालिका शिक्षा में बाधा बन सकती है।
5. सुरक्षा संबंधी चिंताएँ होने से परिवारों की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बालिकाओं के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में बने रहने को प्रभावित कर सकती हैं।
6. सामाजिक एवं लैंगिक मान्यताएँ भी पितृसत्तात्मक सोच, पुत्र–प्राथमिकता तथा बालिका को परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी समझने जैसी धारणाएँ योजनाओं के प्रभाव को सीमित कर सकती हैं।
7. डिजिटल विभाजन के होने से ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल शिक्षा एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के बढ़ते महत्व के बावजूद गरीब परिवारों में स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी बाधा बन सकती है।
8. विभागीय समन्वय की कमी से बालिका का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, सामाजिक न्याय तथा बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है। विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय का अभाव लाभ वितरण को प्रभावित कर सकता है।

7. चर्चा एवं परिचर्चा : अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गरीबी और लैंगिक असमानता बालिकाओं के विकास में परस्पर जुड़े हुए कारक हैं। केवल स्कूल में नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। बालिका को विद्यालय में बनाए रखना, सीखने की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किशोरावस्था में पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएँ देना, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा कौशल एवं रोजगार के अवसर पैदा करना भी आवश्यक है। यूनिसेफ के अनुसार बाल विवाह ग्रामीण और गरीब परिवारों में अधिक जोखिम से जुड़ा है तथा शिक्षा की कमी इसके जोखिम को बढ़ाती है। इसलिए सतत् विकास की दृष्टि से बालिका को केवल 'लाभार्थी' के रूप में नहीं बल्कि मानव पूंजी, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की सक्रिय भागीदार के रूप में देखना आवश्यक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएँ सतत् विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समूहों में से एक हैं। गरीबी उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, कौशल विकास और सामाजिक भागीदारी के अवसरों को प्रभावित करती है। "गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं का विकास केवल कल्याणकारी कार्यक्रम का विषय नहीं, बल्कि भारत के सतत् विकास, मानव पूंजी निर्माण और सामाजिक न्याय की आधारभूत आवश्यकता है। बालिका की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश से गरीबी के अंतर–पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में सहायता मिलती है।" इसलिए सतत् विकास के लिए आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, कौशल, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण के एकीकृत मॉडल के रूप में लागू किया जाए। गरीब परिवारों की प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वस्थ जीवन, सुरक्षित वातावरण, समान अवसर और सम्मानजनक भविष्य प्राप्त होना ही वास्तविक सतत् विकास की पहचान होगी। प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापक परिवारों की बालिकाओं की स्थिति में सकारात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि–

- ❖ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बालिकाओं की विशेष पहचान एवं ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाए।
- ❖ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के ड्रॉपआउट को रोकने के लिए विशेष सहायता दी जाए।
- ❖ गरीब परिवारों के लिए शिक्षा से जुड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्च को कम किया जाए।
- ❖ विद्यालयों में सुरक्षित परिवहन एवं पृथक स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- ❖ किशोरियों के पोषण एवं एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- ❖ बाल विवाह रोकथाम को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।
- ❖ बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।
- ❖ योजनाओं की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुँचाने के लिए पंचायत एवं समुदाय आधारित अभियान चलाए जाएँ।
- ❖ सभी संबंधित विभागों के बीच अभिसरण मॉडल को मजबूत किया जाए।
- ❖ योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन केवल लाभार्थियों की संख्या से नहीं, बल्कि शिक्षा जारी रखने, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार और निर्णय क्षमता जैसे परिणामों से किया जाए।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. कौल, रेखा (2001). प्राथमिक शिक्षा तक पहुँचः कक्षा से आगे की दृष्टि। सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. ड्रेज, ज्याँ एवं किंगडन, गीता (2001). ग्रामीण भारत में विद्यालयी सहभागिता, विकास अर्थशास्त्र समीक्षा, खंड–5, अंक–1, ब्लैकवेल पब्लिशर्स लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम।
3. तिलक, जे.बी.जी. (2002). शिक्षा और गरीबी, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, 38(2)।
4. रानी, गीता गांधी किंगडन (2005). गरीब परिवारों की बालिकाओं की शैक्षिक पहुँच के संदर्भ में निजी एवं सरकारी स्कूली शिक्षा। इकनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली, खंड–40, नई दिल्ली।
5. मेहरोत्रा, संतोष (2006). रिफॉर्मिंग एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. गुप्ता, रेखा (2006). काम की अस्वास्थ्यकर दशाएँ एवं असंगठित कामगार। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू, डॉ. अम्बेडकर नगर (म.प्र.) (2006)
7. सफाया, आर. एन. (2005). आधुनिक शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध, धनपत राय पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
8. सिंह, योगेन्द्र (2004). भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स।

=====

आलेख उद्धरित करें :	उटावदे, छोटेलाल (2026)। सतत विकास में बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन (मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापक परिवारों की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 79–82। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005928